संख्या- **04**/2018/696 /77-2-2018-5(बजट)/2017

प्रेषक,

अरूण कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री,

उ0प्र0, इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक **29** जून, 2018

विषयः- राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन (पत्थर बिल्डिंग) के पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-62/एए-प्रेस/18, दिनांक 10-5-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में बजट प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि रू0-50.25 लाख में से राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन (पत्थर बिल्डिंग) के पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन में प्रस्तावित लागत रू0-20,50,000/- (रूपये बीस लाख पचास हजार मात्र) पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमोदित धनराशि रू0-20.50 लाख् का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, 29-अनुरक्षण मद में शासनादेश संख्या-02/2018/509/77-2-18-3(बजट)/2017, दिनांक 18-4-2018 द्वारा आवंटित/निर्गत धनराशि रू0-50.25 लाख में से किया जायेगा।

[redacted] कार्यदायी संस्था विद्युत यॉत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा परियोजना में प्रस्तावित कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद का होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य निर्धारित विशिष्टियों/मानको के अनुसार किया जाय तथा सम्पूर्ण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही 31 मार्च, 2019 तक अवश्य पूर्ण हो जाय।

(5) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 04 /2018/696(1)/77-2-2018-**तद्दिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

8- नियोजन अनुभाग-4

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in